ग्राम पंचायत टंग नरवाना, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग –1

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत टंग नरवाना, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागडा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क0	नाम	अवधि
1	श्रीमती नीलम कुमारी	01/04/2013 से 22.01.2016
2.	श्री सुरिन्द्र कुमार	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिवः–

क0	नाम	अवधि
1	श्री विनय कुमार	01/04/2013 से 24/08/2013
2	श्री सन्तोष कुमार	25/08/2013 से 06.02.2016
3.	श्री अर्जुन सिहं	07.02.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत टंग नरवाना विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5 (2)	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	1.29
2	6	पंचायत राजस्व की शेष वसूली	2.58
3	8	अनुदान राशि का अवरोधन	23.59
4	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करने बारे	0.27
5	10	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण न करना	1.48

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत टंग नरवाना, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16/11/2016 से 22/11/2016 तक ग्राम पंचायत टंग नरवाना के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 07/13, 01/15 व 12/15 एवं व्यय के लिए माह 4/2013, 4/2015, व 9/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवदेन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत टंग नरवाना, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 27 दिनांक 7/12/2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टंग नरवाना से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत टंग नरवाना विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 1.4.2013 से 31.3.16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :

4.1 **स्वः स्त्रोत व अनुदानः**– ग्राम पंचायत टंग नरवाना, के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है :–

(क) स्वः स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	65014.00	90060.00	3660.00	158734.00	42759.70	115974.30
2014–15	115974.30	157833.00	5117.00	278924.30	128340.40	150583.90
2015–16	150583.90	153275.00	5968.00	309826.90	71514.88	238312.02

(ख) अनुदान

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013—14	1232395.00	4241249.00	42953.00	5516597.00	4229667.00	1287330.00
2014—15	1287330.00	2596180.00	39228.00	3922738.00	2617486	1305252.00
2015—16	1305252.00	2550845.00	46992.00	3903089.00	1543855.00	2359234.00
					योग (क+ख)	**₹2597546.02**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः—

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	केसीसी बैंक टंग नरवाना	20002115524	847830.00
2	पी0एन0बी0, योल	6710000100015304	1277288.02
3	पी0एन0बी0, योल	6710000100036175	11396.00
4	पी0एन0बी0, योल	6710000100014475	8535.02
5	पी0एन0बी0, योल	6710000100021828	10050.02
6	पी0एन0बी0, योल	6710000100015234	8128.02
7	पी0एन0बी0, योल	6710000100019054	741.02
8	पी0एन0बी0, योल	6710000100021837	6584.02
9	पी0एन0बी0, योल	6710000100021712	9402.02
10	पी0एन0बी0, योल	6710000100015739	174498.02
11	पी0एन0बी0, योल	6710000100017940	0.02
12	पी0एन0बी0, योल	6710000100006429	4576.00
13	पी0एन0बी0, योल	6710000100015313	238312.02
		कुल योग	**2597340.20**

बैंक समाधान विवरणः—

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़वही के अनुसार शेष राशि	₹2597546.02
हस्त शेष राशि	₹205.82
दिनांक 31.3.2016 को बैंक पासवुक के अनुसार शेष रााशि	₹2597340.20

5 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः—

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित

है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.1 नियमों के विरूद्ध तेरह बैंक बचत खातों का खोला जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वः संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत टंग नरवाना में दो के स्थान पैरा 4(1) में वर्णित तेरह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन ग्यारह अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 खाता 'ख' में अर्जित ₹1.29 लाख के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्व संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत टंग नरवाना, के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹129173 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	कुल ब्याज
2013—14	42953.00
2014—15	39228.00
2015—16	46992.00.
कुल योग	**129173.00**

5.3 वर्गीकृत सार (Clasified abstact) को तैयार न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत टंग नरवाना, द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹2.58 का वसूली हेतु शेष पाया जाना:—

ग्राम पंचायत टंग नरवाना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹257995 की वसूली शेष थी।

(क) गृहकर

क0सं0	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्त्यिाँ	अन्तशेष
1	2013—14	1150.00	54050.00	55200.00	27595.00	27605.00
2	2014—15	27605.00	58000.00	85605.00	9725.00	75880.00
3	2015—16	75880.00	59900.00	135780.00	5560.00	130220.00

(ख) दुकानों का किराया:—

क0सं0	किराएदार का नाम	मासिक किराया	जिस माह तक किराया दिया	दिनाक 31.3.16 तक शेष राशि
1.	श्री ओंकार चन्द	175.00	31.12.2011	8925.00
2.	श्री ग्लोरा राम	100.00	31.8.2011	5500.00

3.	श्री सुरिन्द्र कुमार	100.00	30.9.2009	7800.00
4.	श्री सन्तोश कुमार	250.00	31.12.2014	3750.00
5.	पुश्प कुमार	150.00	28.2.2011	9150.00
6.	श्री संजीब कुमार	200.00	30.11.2010	12800.00
7.	श्री हरबन्स लाल	150.00	30.6.2011	8550.00
8.	ओंकार/सुभाश	200.00	30.04.2008	19000.00
9.	श्री नसीब सिंह	200.00	31.5.2009	16400.00
10.	श्री जयपॉल	175.00	30.11.2014	2800.00
11.	श्री सुरिन्द्र कुमार	100′00	31.12.2006	11100.00
			कुल योग	**105775.00**

(ग) मोवाइल टाबरः–

क0सं0	**बर्ष**	**मोबाईल टाबर का नाम**	**पिछला वकाया**	**देय राशि**	**कुल योग**	**प्राप्त राशि**	**शेष राशि**
1.	2013.14	एयरसैल	16000.00	2000.00	18000.00	शुन्य	18000.00
2.	2014.15	यथोपरि	18000.00	2000.00	20000.00	शुन्य	20000.00
3.	2015.16	यथोपरि	20000.00	2000.00	22000.00	शुन्य	22000.00

कुल योग ₹130220 +105775 +22000 = ₹257995

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

7 सावधि जमा निवेश न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत टंग नरवाना द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई भी निवेश सावधि जमा में नहीं किया गया था।

8 अनुदान की ₹23.59 लाख का अवरोधनः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31—03—2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹2359234 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत टंग नरवाना द्वारा भिन्न—भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.27 लाख की ईन्टों इत्यादि का क्रय करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹27300 की ईन्टों इत्यादि का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीदी गई इन ईन्टों इत्यादि का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही खरीद करना सुनिश्चित की जाये।

क0 सं0	वाउचर संख्या	बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1.	15,LADA 1-1-14	0044 25.12.13	श्री सर्व चन्द	ईन्टे इत्यादि	4000	6.825	27300.00

10 ₹148005 क्रय सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री ₹1.48 लाख का भण्डारण, भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान **परिशिष्ट (क)** पर वर्णित क्रय किये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री को क्रय के उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया गया और न ही इसका आगामी निपटारा किया गया जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब क्रय किये गये सीमेंट व अन्य सामग्री को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जायेः—

11 अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः—

जॉच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार राशियों का भुगतान सभा निधि खाते से दिनांक 15.1.2014 को रोकड़ बही के अनुसार किया गया, परन्तु भुगतान की गई राशियों से सम्बधित कोई भी अभिलेख (बिल इत्यादि) जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं करवाये गये, जिसके परिणाम स्वरुप भुगतान की गई राशियों की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः निम्न विवरणानुसार वर्णित भुगतान की गई राशियों से सम्बन्धित अभिलेख को अगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करके किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये अन्यथा ₹1500.00 की बसूली उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवा कर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनांक	राशि
1.	205	15.1.14	500.00
2.	206	15.1.14	500.00
3.	207	15.1.14	500.00

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का

नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

14 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यता की जॉच नहीं की जा सकी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बघित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–**यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 **निष्कर्षः–**लेखों के रख–रखाब में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2)100 / 2017–खण्ड–1–2892–2895 दिनाँकः 27.05.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत टंग नरवाना, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता / –
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881